चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : RO/1476/2026-27 दिनांक : 21.08.2026

सेवा में,

1. प्राचार्य / प्राचार्या,
   समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
   चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

2. विभागाध्यक्ष / समन्वयक,
   समस्त विभाग विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ।

विषय :– रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के सम्बन्ध में शहीद परिवारों की मेधावी छात्राओं, दिव्यांग छात्राओं एवं निराश्रित छात्राओं की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उत्तर–प्रदेश शासन उच्च शिक्षा अनुभाग–4 के पत्र 19.08.2026 के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश उपलब्ध कराये गये हैं। उक्त शासनादेश के बिन्दु 2(2) में सामान्य मेधावी छात्राओं के लिये निर्धारित मैरिट से 10 प्रतिशत कम अंकों वाली शहीद परिवारों की मेधावी छात्राओं, दिव्यांग छात्राओं एवं निराश्रित छात्राओं को इस योजना हेतु अर्ह माना गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अनुरोध है कि अपने महाविद्यालय / विभाग में सत्र 2025–26 में स्नातक उपाधि पूर्ण करने वाली शहीद परिवारों की मेधावी छात्राओं, दिव्यांग छात्राओं एवं निराश्रित छात्राओं जिन्होंने 78.08 प्रतिशत से कम तथा 68.08 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक अर्जित किये हैं एवं जो उत्तर–प्रदेश राज्य की मूल निवासी हों, की सूचना माईक्रोसोफ्ट एक्सल पर अविलम्ब ई–मेल आई डी- **examcontroller@ccsuniversity.ac.in** पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। दिनांक 22.08.2026 को अपरान्ह 5 बजे तक जिन महाविद्यालयों / विभागों से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, के सम्बन्ध में यह अवधारित किया जायेगा कि उन महाविद्यालयों / विभागों में कोई भी शहीद परिवार की, दिव्यांग अथवा निराश्रित छात्रा नहीं है।

उत्तर–प्रदेश शासन द्वारा शहीद परिवारों, दिव्यांग छात्राओं एवं निराश्रित छात्राओं के सम्बन्ध में निर्धारित अर्हता इस पत्र के साथ संलग्न है। कृपया उक्त अर्हता के अनुसार छात्राओं का विवरण सम्बन्धित साक्ष्यों, मूल निवास प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र तथा अपार आई–डी के साथ संलग्न प्रारूप में प्रेषित करने का कष्ट करें।

समस्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति हार्ड कॉपी में परीक्षा कार्यालय में प्रेषित करना भी आवश्यक है। स्कूटी योजना हेतु अन्तिम चयन का निर्णय शासन द्वारा लिया जायेगा।

संलग्नक : 1.शहीद परिवारों, दिव्यांग छात्राओं एवं निराश्रित छात्राओं की पात्रता के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

2. प्रारूप जिसके अनुसार सूचना प्रेषित करनी है।

Bhu 21/8/26

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

1– वैयक्तिक सहायक कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।

2– वैयक्तिक सहायक परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा नियंत्रक के सूचनार्थ।

21/08

उप–कुलसचिव

शासनादेश संख्या-64/2026/563/सत्तर-4-2026-70-4002(001)/2/2025, दिनांक 19 अगस्त, 2026 का

संलग्नक-1

शहीद परिवारों, दिव्यांग छात्राओं एवं निराश्रित छात्राओं की पात्रता का निर्धारण करते समय निम्नांकित बिन्दुओं को दृष्टिगत रखा जायेगा :-

1. सशस्त्र सेना के तीनों सेनाओं (थल सेना, नौ सेना एवं वायु सेना) और अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत रहते हुये कर्तव्य पालन के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों/अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों को शासकीय सेवा में लिये जाने विषयक सैनिक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 19 मार्च, 2018 में शहीद सैनिकों को निम्नवत परिभाषित किया गया है:-

परिभाषाएँ-

(क) शहीद (Battle Casualty) सैनिकों का तात्पर्य

सशस्त्र बल के तीनों सेनाओं और अर्द्धसैनिक बलों के कार्यकलाप के संबंध में सेवायोजित स्थायी/अस्थायी रूप से नियुक्त/कमीशण्ड आफीसर/सैनिक जो कर्तव्य पालन के दौरान देश की सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय युद्ध, गोलाबारी, बैटल एक्सीडेन्ट, सीमा पर छुट-पुट/आतंकवादी घटनाओं तथा अराजकतत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा, प्राकृतिक आपदा एवं वाहन दुर्घटना के दौरान शहीद हुए हैं।

अथवा

(ख) कर्तव्य पालन के दौरान बिन्दु (क) पर वर्णित घटनाओं के समय ऐसे लापता शहीद जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा मृत घोषित किया गया हो।

(ग) शहीद के आश्रितों के अन्तर्गत वरीयता क्रम में

शहीद सैनिक के विवाहित होने की स्थिति में शहीद सैनिक की पत्नी, विधवा पुत्रवधू, अविवाहित पुत्रियां, कानून संगत दत्तक पुत्रियाँ, माता आश्रित की श्रेणी में मानी जायेंगी परन्तु उक्त आश्रितों के शारीरिक/मानसिक अनुपयुक्तता की स्थिति में आश्रित अविवाहित पौत्रियां आश्रित की श्रेणी में मानी जायेंगी।

शहीद सैनिक के अविवाहित होने की स्थिति में शहीद सैनिक की माता, अविवाहित बहन आश्रित की श्रेणी में मानी जायेंगी।

2. दिव्यांगजन सशक्तिकरण अनुभाग-2 द्वारा निर्गत निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराये जाने की नियमावली, 2020 दिनांक 22 जनवरी, 2020 में पात्र "दिव्यांगजन" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पालिसी, हीमोफिलिया आदि से ग्रसित हो या व्यक्ति उपर्युक्त की भाँति शारीरिक स्थिति में हो, उसकी दृष्टि अच्छी हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का हिस्सा (भाग) स्वस्थ हो, संबंधित दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो व संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उसकी दिव्यांगता न्यूनतम 80 प्रतिशत या उससे अधिक प्रमाणित की गयी हो।
3. निराश्रित छात्राओं से तात्पर्य ऐसी छात्राओं से होगा जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो तथा परिवार में भरण-पोषण करने वाला कोई अन्य सदस्य न हो।

Digitally signed by
RAM JANAM CHAUHAN
Date: 19-08-2026
18:04:33

क्रम सं0	विश्वविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का नाम एवं AISHE कोड	छात्रा का नाम	पिता/माता का नाम	श्रेणी (दिव्यांग/शहीद परिवार/निराश्रित)	पाठ्यक्रम का नाम	एनरोलमेंट नं0 एवं रोल नं0	प्राप्तांक प्रतिशत	अपार आई–डी	DOMICILE Application No.	DOMICILE ID	INCOME CERTIFICATE Application No.	INCOME CERTIFICATE ID	क्या छात्रा उ0प्र0 की मूल निवासी है हाँ/नहीं	क्या छात्रा की परिवार की आय 12 लाख अथवा कम है हाँ/नहीं